तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **कपिल बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 220 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी कपिल नागौरी, पता बागर फील्ड फोर्ट रोड़ के सामने, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.02.2022 को सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 967 दिनांक 11.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना् इस कार्यालय से संबंधित न होकर् नगर निगम जोधपुर, उत्तर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधि. की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 462 दिनांक 06.04.22 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा सूचना का आवेदन पत्र विधिक प्रक्रिया के तहत लोक सूचना अधिकारी, नगर निगम (उत्तर) जोधपुर को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा नगर निगम जोधपुर के लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध प्रथमी अपील जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है तथा उनके विरूद्ध प्रथम अपील महापौर, नगर निगम जोधपुर, उत्तर सुनने के लिए सक्षम है। अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	